

THE UTTAR PRADESH RURAL HOUSING BOARD ACT, 1982 [U.P. ACT NO. 27 OF 1983]

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly]

**AN
ACT**

to provide for the establishment, incorporation and functioning of a Housing and Development Board primarily for the rural areas in Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:--

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extend and commencement	1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983. (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh, excluding areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of defence. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.
Definitions under with earth	2- In this Act- (a) "Board" means the Uttar Pradesh Rural Housing Board established section 3; (b) "Chairman" means the Chairman of the Board; (c) "Housing Scheme" means a housing scheme prepared in accordance the provisions of this Act; (d) "land" includes benefits arising out of land and things attached to the or permanently fastened to anything attached to the earth; (e) "member" means a member of the Board and includes a Chairman; (f) "prescribed" means prescribed by rules; (g) "programme" means the annual housing programme prepared by the Board under section 25; (h) "rural area" means the area of a district excluding – (i) every city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, (ii) every municipality as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916, (iii) every notified area as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916, (iv) every town area declared and defined under the United
Provinces	Town Areas Act, 1914,
[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983] 3-4]	[Section (v) area declared as "development area" under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, (vi) area covered by any housing or improvement scheme under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965. (vii) area covered by any housing or improvement scheme under any other enactment; unless the State Government, after consultation with the competent authority under the aforesaid relevant enactment, declares any such area or part of the area for the purposes of this Act; (i) "Tribunal" means a tribunal constituted under section 40.

CHAPTER II**Establishment of the Board**

Power to establish Rural Housing Board	3-	(1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established for the rural areas of the State, a Board by the name of the Uttar Pradesh Rural Housing Board.	
		(2) The Board shall be a body corporate and for the purposes of this Act, and any other law for the time being in force including the Land Acquisition Act, 1894, it shall be deemed to be a local authority.	
Composition of the Board	4-	(1) The Board shall consist of the following members, namely :-	
Chairman		{(a) one person to be nominated as Chairman by the State Government;} ¹	-
- Member		(b) Three non-official persons to be nominated as members by the State Government;	-
Member		(c) Adyaksh, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, <i>ex-officio</i> ;	-
Member		(d) Director, Central Building Research Institute, Roorkee (Saharanpur), <i>ex-officio</i> ;	-
Member		(e) Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;	-
Member		(f) Secretary, Planning Department, Government of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;	-
Member		(g) Secretary, Institutional Finance Department, Government of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;	-
- Member		(h) Secretary, Harijan Sahayak and Social Welfare Department, Government of Uttar Pradesh, <i>ex-officio</i> ;	-
Member		(i) Principal, Government Arts College, Lucknow, <i>ex-officio</i> ;	-
		1- Substituted by section 2 of U.P. Act no. 17 of 1997.	
[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983] 5-7]			[Section
		(j) Director, Building Organization, Ministry of Works and Housing, Government of India, <i>ex-officio</i> ;	-
		(k) Chief Engineer, Rural Engineering Service, <i>ex-officio</i> ;	-
		(l) Senior Architect, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, <i>ex-officio</i> ;	-
		(m) Advisor, Project Planning, Uttar Pradesh Development Systems Corporation Ltd., <i>ex-officio</i> ;	-
		(n) Rural Housing Commissioner, Uttar Pradesh Housing Board, <i>ex-officio</i> ;	-
		(2) An officer referred to in clauses (e), (f), (g) and (h) of sub-section (1) may, instead of attending a meeting of the Board himself, depute an officer next junior to him available in his department to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.	

		(4) A member of the Board, other than <i>ex-officio</i> , member, may at any time, resign his office by writing under his signature to the State Government, but the resignation shall not take effect until it is accepted.
Terms and conditions of order. membership	5-	(1) The term of every member, other than <i>ex-officio</i> member, shall be three years unless it is determined earlier by the State Government by a notified order. (2) The members of the Board may be paid such allowances as may be prescribed. (3) The allowances payable under this section shall be paid from the fund of the Board.
Power to fill temporary of vacancy in be the office of Chairman	6-	(1) When there is a temporary vacancy in the office of the Chairman, the State Government may appoint another person to act as Chairman during the period such vacancy, and the person so appointed shall, for the purposes of this Act, deemed to be the Chairman. (2) If any member of the Board other than the Chairman is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of carrying out his duties or is leave or on any other ground not resulting in the cessation of his membership, State Government may appoint another person to officiate for him and carry his function under this Act, or any rule or regulation made thereunder.
absent on the out		
Disqualification membership	7-	(1) A person shall be disqualified for being appointed or continuing as a for member of the Board if he; (a) holds, except as provided in sections 5 and 6, any office of profit under the Board; (b) is of unsound mind; (c) is an undercharged insolvent; (d) has been convicted for an offence involving moral turpitude;
[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]		[Section 8-10]
		(e) has directly or indirectly by himself or be any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature in any contract or employment with, by or on behalf of the Board; (f) is a director, secretary, manager or other salaried officer of any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board. (2) A person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any contract or employment within the meaning of the said clauses, by reason only of his or the incorporated company of which he is a director, secretary, manager or other salaried officer, having a share or interest in – (a) any sale purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same; (b) any agreement for loan of money or any security for payment of money only; (c) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Board is published;

(d) the occasional sale to the Board, up to a value not exceeding ten thousand rupees in any one year, of any article in which he or the company regularly trades.

Explanation— A person shall not deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board by reason only of his being a shareholder of a company which has such share or interest.

Disqualific 8-
from
participati
ng in
Board's
proceeding
s.

(1) A member of the Board or of a committee appointed by the Board who – ation
(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of sub-section (1) of section 7 in respect of any matter, or
(b) has acted professionally in relation to any matter on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid, shall not, notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 7, vote or take part in any proceeding of the Board or of its committee relating to such matter.

(2) If any member of the Board or of its committee has directly or indirectly any interest in any land situated in any area comprised in any of the schemes framed under this Act, or in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any meeting of the Board or its committee in which any matter relating to such land is considered.

Certain 9-
of acts
not to be
invalid

Any disqualification of or defect in the appointment of any person as a member the Board or any vacancy or defect in the constitution of the Board, shall not vitiate or invalidate any act or proceeding of the Board if such act or proceeding is otherwise in accordance with the provisions of this Act.

Rural 10
-
Commissi
oner
as

(1) There shall be a Rural Housing Commissioner appointed by the State Housing Government for the purposes of this Act.
(2) The conditions of service of the Rural Housing Commissioner shall be such may be prescribed. He shall be remunerated from the fund of the Board.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
15]

[Section 11-

Officers and
servants of
may Board

11- (1) Subject to such control and restriction as may from time to time be imposed by the State Government, by special or general orders, the Board appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

(2) The terms and conditions of service of the officers and servants appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The Board may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central or State Government or of a local authority on any of the posts under it on such term and conditions as may be agreed upon.

Control over
Board's
officers employees

12- Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Rural Housing Commissioner shall exercise supervision and control over all the and servants of the Board.

Delegation of
powers

13- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Board may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the conditions of review by itself, as may be specified in the order to any committee appointed by it or to the Rural Housing Commissioner or to any other officer of the Board such of its powers and duties under this Act, as it may deem necessary.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Rural Housing Commissioner may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by himself, as may be specified in the order, to any officer of the Board such of his powers and duties under this Act, not being powers and duties delegated to him under sub-section (1), as he may deem necessary.

CHAPTER III

Housing Scheme

Framing of
Housing
housing Scheme

14-

(1) Whenever the Board is of opinion that it is necessary or expedient to meet the need for housing accommodation in any area, the Board may frame a scheme.

(2) Such scheme shall specify the lay-out of the area where the houses are to be constructed and may provide for the building of houses by the Board and by others.

(3) The Board may lease out or sell, including sale on hire-purchase basis, any house so built by the Board.

(4) The Board may provide in the area roads, streets, drainage, water-supply, street lighting, community buildings and other amenities.

Inclusion of
other
scheme than rural
but which areas in the
law scheme
the
land to

15-

If the Board, while framing a housing scheme in respect of a rural area, areas considers it necessary for the purpose of construction of houses under the to include, in the scheme, an area which is contiguous to such rural area

is not a rural area, notwithstanding anything contained in this Act or any other for the time being in force, the State Government may, after consultation with competent authority within whose jurisdiction such land lies, declare such be rural area for the purposes of this Act and, and such declaration, it shall be lawful for the Board to include such area in the scheme.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
17]

[Section 16-

Matters to be
provided in
the Housing

16-

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a housing scheme may provide for all or any of the following matters,

namely – scheme
otherwise of any property

- (a) acquisition by purchase, exchange or necessary for or affected by the execution of the scheme;
- (b) laying out or relaying out of any land comprised in the schemes;
- (c) distribution or redistribution of sites belonging to owners of property comprised in the scheme;
- (d) clearance or demolition of dwellings or portions of dwellings unfit for human habitation;
- (e) demolition of buildings or portions of buildings causing obstruction in the proposed layout;
- (f) construction and re-construction of buildings;
- (g) sale (including sale on hire purchase basis), letting or exchange of any property comprised in the scheme;
- (h) construction or alteration of roads, streets, lanes, bridges, culverts and cause-ways;
- (i) drainage, water supply or lighting of the area included in the scheme;

(j) shops, schools, parks, playing grounds and open spaces for the benefit of any area comprised in the scheme or any adjoining area, and the enlargement of existing parks, playing grounds, open spaces and approaches;

(k) sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme, including the conservation and prevention of any injury or contamination of rivers or other sources and means of water supply;

(l) accommodation for members of scheduled castes, scheduled tribes, socially and educationally backward classes of people, agricultural labourers, economically weaker sections of the people and any other class of inhabitants;

(m) advance of loans for the purposes of the scheme;

(n) facilities for communication and transport;

(o) collection of such information and statistics as may be necessary for the purposes of this Act;

(p) any other matter which may be prescribed.

Restrictions
on the
has Housing
being Schemes

17- (1) Subject to the provisions of section 15 no housing scheme shall be made under this Act for any area for which a housing or an improvement scheme been sanctioned by the State Government under any enactment for the time in force nor shall any such housing scheme contain anything which is with any of the matters included in a town planning scheme sanctioned by the Government.

inconsistent
State

(2) If any dispute arises whether a housing scheme made under this Act includes any area included in housing or an improvement scheme or contains anything inconsistent with any matter included in a town planning scheme referred to in sub-section (1), the decision of State Government shall be final.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
21]

[Section 18-

Notice of
notice Housing
schemes

18- (1) When any housing scheme has been framed, the Board shall prepare a to that effect specifying-

(a) the boundaries of the area comprised in the scheme;

(b) the dates, hours and place or places at which a map of the area particulars of the scheme, and details of the land proposed to be acquired may be seen; and

(c) the date by which objections to the scheme may be made.

(2) The Board shall-

(a) cause the said notice to be published weekly for three consecutive weeks in (i) the Gazette and (ii) two daily newspapers, having circulation in the area comprised in the scheme at least one of which shall be a Hindi newspaper; and

(b) send a copy of the notice to the local authority or authorities within whose jurisdiction the area comprised in the scheme lies.

(3) The Rural Housing Commissioner shall cause copy of any document referred to in clause (b) of sub-section (1) to be delivered to any applicant on payment of such fee as may be provided by regulations

Notice of proposed such acquisition	19-	Within six weeks from the date on which any notice is first published under section 18 in respect of any housing scheme, the Board shall serve a notice in form, on such persons or classes of persons and in such manner as may be prescribed, stating that the Board proposes to acquire any specified land or building for the execution of the scheme.
Objections clause the	20-	(1) Any local authority to whom a copy of the notice has been sent under (b) of sub-section (2) of section 18 may, within sixty days from the receipt of copy of the notice, file any objection against the scheme. (2) Any person on whom a notice under section 19 has been served may, within thirty days from the service of the notice, or within such further time as the Board may, for sufficient cause, allow, make an objection in writing to the Board against the scheme or the proposed acquisition. (3) Any other person may file an objection against the scheme within the time specified in the notice under section 18.
Abandonment, modification sanction of scheme the may	21-	(1) After considering the objections, if any, received in pursuance of the foregoing provisions and after giving an opportunity of being heard to the objectors, the Board may, so far as may be, within six months from the date of receipt of the last such objection, either abandon the scheme, or submit it to State Government for sanction with such modifications, if any, as the Board suggest. (2) The State Government may sanction with or without modifications, or refuse to sanction, or return for re-consideration, any scheme submitted to it under sub-section (1). (3) If a scheme, returned for reconsideration under sub-section (2), is modified by the Board it shall be republished in accordance with section 18—
[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]		[Section 22-24]
		(a) if the modification affects the boundaries of the area comprised in the scheme or involves acquisition of any land or building not previously proposed to be acquired; or (b) if the modification is, in the opinion of the Board, of sufficient importance to require republication; and, on such republication, the procedure prescribed in section 19 and section 20 shall, so far as may be applicable, be followed as if the republication were an original publication under section 18.
Commencement scheme	22-	(1) Whenever the State Government sanctions a housing scheme, it shall be of notified in Gazette. (2) The notification, under sub-section (1), in respect of any scheme shall be conclusive evidence that the scheme has been duly framed and sanctioned. (3) The scheme shall come into force on the date of the notification under sub-section (1).
Alteration fully of scheme	23-	(1) At any time after a housing scheme has come into force and before it is executed, the Board may for reasons to be recorded alter or cancel it: Provided that- (a) before making any alteration in a housing scheme which involves acquisition, otherwise than by agreement, of any land or building not proposed to be acquired in the original scheme, the Board shall serve a

notice, in such form, on such persons or classes of persons and in such manner, as may prescribed, of the proposed alteration, and consider the objection, if any, received in pursuance of the notice within thirty days from the service of the notice or within such further time as the Board may, for sufficient cause, allow, and give an opportunity of being heard to the objectors;

(b) no scheme shall be altered or cancelled without the previous sanction of the State Government.

(2) Any alteration or cancellation of a scheme under sub-section (1) shall be notified in the Gazette and have effect from the date of such notification, so, however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the original scheme.

Restriction on 24-
housing building in
if the area proposed
its for or

develop comprised in a
scheme scheme

Commissioner

(1) Where a notice has been published under section 18 in respect of a scheme, no person shall, until the scheme is abandoned, or sanctioned, and scheme has come into force, during a period of two years from the date of

commencement, erect, re-erect, add to, or alter any building or otherwise any land in the area comprised in the scheme except in accordance with the

and subject to such restrictions and conditions as the Rural Housing may, upon an application for permission in this behalf, by order impose.

(2) A person aggrieved by an order of the Rural Housing Commissioner, refusing permission or imposing restrictions or conditions under sub-section (1), may, within such time as may be prescribed, appeal to the Board whose decision thereon shall be final.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
30]

[Section 25-

Annual
budget and
housing
programme

25-

(1) Before the first day of December in each year, the Board shall prepare and forward to the State Government in such form as may be prescribed-

(i) a programme;

(ii) a budget for the next year.

(2) The programme shall contain-

(a) such particulars of housing scheme which the Board proposes to execute whether in part or whole during the next year as may be prescribed;

(b) the particulars of any undertaking which the Board proposes to organize or execute during the next year for the purpose of the production of building materials; and

(c) such other particulars as may be prescribed.

(3) The budget shall contain a statement showing the estimated receipts and expenditure on capital and revenue accounts for the next year.

Sanctioning of 26-
forwards to the programme
budget so and budget.
soon as

The State Government may sanction the programme and the budget it with such modifications as it deems fit. The programme and the sanctioned shall be laid before both the Houses of the State Legislature as may be after they are sanctioned.

Supplementary 27-
programme programme

The Board may, at any time, during the year, in respect of which a has been sanctioned under section 26, submit a supplementary programme

and and budget		budget to the State Government and the provisions of section 25 shall apply to such supplementary programme and budget.
Variation of sanctioned programme	28-	The Board may at any time vary any programme or any part thereof by the State Government: Provided that no such variation as affects the scope or purpose of any housing scheme included in such programme shall be made without the previous sanction of the State Government and the provisions of section 26 shall <i>mutatis mutandis</i> apply to such variation.
Execution of the Housing Scheme	29-	(1) After the programme has been sanctioned by the State Government under section 26, the Board shall, subject to the provisions of section 28, proceed to execute the housing scheme included in the programme. (2) The Board may execute any of the matters provided in a housing scheme through any independent agency. (3) Nothing in sub-section (1) and sub-section (2) shall be construed to prohibit the Board from employing any agency of the State Government or of a local authority with the consent of that Government or authority, as the case may be, in the execution of any, housing scheme.
Vesting of Gaon Sabha any land in the Sabha Board scheme	30-	(1) Notwithstanding anything contained in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or in any other law for the time being in force, where street, square or other land or part thereof belonging to or vested in a Gaon or other local authority is situated within the area included in any housing sanctioned by the State Government and is required for the purposes of such scheme, the Board shall give notice to such Gaon Sabha or local authority, as the case may be, that the same is required for the purpose of the scheme.
[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]		[Section 31-34]
		(2) If the Gaon Sabha or the local authority concurs, such street, square or other land or part thereof shall vest in the Board with effect from the date of such concurrence. (3) If the Gaon Sabha or the local authority does not concur, the dispute shall be referred to the State Government and the decision of the State Government shall be final. (4) Nothing in this Section shall affect the rights or powers of the Gaon Sabha or other local authority over any drain or water-works in such street square or land.
Compensation when payable Gaon	31-	(1) Where any land vests in the Board under section 30 and the Board makes a declaration that such land shall be retained by the Board until it re-vests in the Sabha or the local authority concerned as part of a street or an open space under section 34, no compensation shall be payable by the Board in respect of such land. (2) Where any land vests in the Board under section 30 and no declaration is made under sub-section (1) in respect of the land, the Board shall pay to the Gaon Sabha or the local authority concerned a sum equal to the market value of the land as compensation. (3) Where the Board has made a declaration in respect of any land under sub-section (1) and the Board detains or disposes of the land contrary to the terms of the declaration so that the land does not re-vest in the Gaon Sabha or other local authority, the Board shall pay compensation in accordance with the provisions of sub-section (2).

Power of Board to turn or close public street any vested in it	32-	(1) The Board may turn, divert, discontinue the public use of, or permanently close, any public street vested in it or any part thereof. (2) Whenever the Board discontinues the public use of, or permanently closes, public street vested in it or any part thereof, it shall, as far as practicable, provide some other reasonable means of access in lieu thereof and pay reasonable compensation to every person who is entitled, otherwise than as a mere member of the public, to use such street or part as a means of access and has suffered damage from such discontinuance or closure. (3) When any public street or any part thereof, vested in the Board, is permanently closed under sub-section (1), the Board may sell or lease so much of the same as is no longer required by it.
Reference of certain sections, disputes to the tribunal	33-	If there is any dispute as to whether any compensation is payable under section 31 or section 32 or as to the amount of compensation payable under the said the matter shall be referred to the Tribunal and its decision shall be final.
Vesting of certain streets and open space in Gaon Sabha	34-	(1) Whenever the State Government is satisfied- (a) that any street laid out or altered by the Board has been duly leveled, paved, metal led, flagged, channeled, severed and drained in the manner provided in the scheme sanctioned by the State Government under section 21; and (b) that such lamps, lamp-posts and other apparatus as the Gaon Sabha considers necessary for the lighting of such street and as ought to be provided by the Board have been so provided; and (c) that water and other sanitary conveniences have been duly provided in such street; the State Government may declare the street to be a public street, and the street shall there upon vest in the Gaon Sabha and shall thereupon be maintained, kept in repair, lighted and cleaned by such Gaon Sabha. (2) When any open space for purposes of ventilation or recreation has been provided by the Board in executing any housing scheme, it shall, on completion, be transferred to the Gaon Sabha concerned by resolution of the Board, and shall thereupon vest in and be maintained at the expense of such Gaon Sabha. (3) If any dispute arises between the Board and the Gaon Sabha in respect of any matter referred to in this section, the matter shall be referred to the State Government whose decision shall be final.
Other duties the Board do	35-	It shall be the duty of the Board to take measures with a view to expediting of and cheapening construction of buildings, and the Board may for that purpose all things for- (a) unification, simplification and standardization of building materials; (b) encouraging pre-fabrication and mass production of house components; (c) organizing or undertaking the production of building materials required for the housing schemes;

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
37]

[Section 35-

(d) encouraging research for discovering cheap building materials and evolving new methods of economic construction;

(e) securing a steady and sufficient supply of workmen trained in the work of construction of buildings;

(f) doing all such other acts and things as may be necessary for the discharge of the duties before mentioned.

Reconstitution of plots 36- The Board shall have the power to provide-

(a) for the formulation of reconstituted plot by the alterations of the boundaries of an original plot;

(b) with the consent of the owners that two or more original plots each of which is held in ownership severally or jointly shall, with or without alteration of boundaries be held in ownership in common as a reconstituted plot;

(c) for the allotment of a plot to any owner dispossessed of land in furtherance of the housing scheme; and

(d) for the transfer of ownership of a plot from one person to another.

CHAPTER IV

Acquisition and Disposal of Land

Powers to acquisition purchase or the lease by the agreement

37- (1) The Board may enter into an agreement with any person for the from him by purchase, lease or exchange of any land which is needed for purposes of a housing scheme or any interest in such land or for compensating owner of any such right in respect of any deprivation thereof or interference therewith.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
42]

[Section 38-

(2) Any land or any interest therein required by the Board for any of the purposes of this Act may also be acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 as amended in its application to Uttar Pradesh.

Power to Board dispose of or other land etc. scheme

38- Subject to any rules made by the State Government under this Act, the may retain lease, sell exchange or otherwise dispose of, any land, building property vesting in it and situate in the area comprised in any housing sanctioned under this Act.

Dispute regarding reconstitution

39- (1) Where as a result of the execution of any housing scheme, any plot is re-constituted or any person is dispossessed from any land, any person affected by such re-constitution or dispossessed may apply to the Board, in the manner of plots. prescribed, for compensation.

(2) The Board may after making such inquiry as it thinks fit, determine the amount of compensation, if any, payable to the applicant.

(3) If the applicant is dissatisfied with the decision of the Board under sub-section (2), he may prefer an appeal to the Tribunal in such manner as may be prescribed.

(4) The Board shall pay the amount of compensation determined under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, to the person found entitled thereto.

CHAPTER V

Tribunal

Constitution of the Tribunal	40- (1) The District Judge of each district shall constitute the Tribunal for the purpose of this Act. (2) The Tribunal shall follow such procedure as may be prescribed. (3) Every order of the Tribunal for payment of any amount or for the delivery of possession over any immovable property or for the removal of any structure from such property shall be deemed to be a decree of the civil court and shall be executable as such. (4) The proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code. (5) The member of the Tribunal shall be entitled to such remuneration as may be prescribed.
Duties of the payable Tribunal the Powers of the Tribunal Court	41- The Tribunal shall decide all questions relating to the compensation under sections 31 and 32 and all appeals preferred under section 39 and decision of the Tribunal shall be final. 42- The Tribunal shall for the purposes of holding any inquiry or hearing any appeal under this Ordinance, have the same powers as are vested in the Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit in respect of the following matters namely – [The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983] [Section 43-44] (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath; (b) receiving evidence on affidavits; (c) inspecting a building or its locality, or issuing commissions for the examination of witnesses or documents or local investigation; (d) requiring the discovery and production of documents; (e) recoding a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an order in accordance therewith; (f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER VI

Finance, Accounts and Audit

Financial fund Provisions Board.	43- (1) The Board shall have its own fund which shall be deemed to be a local and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Board. (2) The Board's fund shall be kept in the State Bank of India or, with the previous sanction of the State Government, in the Uttar Pradesh Co-operative Bank or in a scheduled bank : Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the Board from retaining such balance in cash as may be necessary for current payments or from investing any portion of the fund not required for immediate expenditure in any of the securities described in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882.
----------------------------------	--

(3) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed the Board may from time to time raise loans or enter into financial arrangements for the purposes of this Act.

(4) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the Board may grant loans and advances, on such terms and conditions as it may determine, to any other local authority, any co-operative society, or to any other person for the construction of houses.

Debentures State 44- (1) The Board may, from time to time, with the previous sanction of the Government, issue debentures for such amounts and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The State Government may guarantee, in such manner as it thinks fit, the payment of the principal and interest, or of either the principal or the interest, of any debentures issued under sub-section (1):

Provided that the State Government shall, so long as any such guarantees are in force, lay before both Houses of the State Legislature in every year during the budget session, a statement of the guarantees, if any, given during the current financial year, and an up-to-date account of the total sums, if any, which have been paid out of State revenues by reason of any such guarantees or paid into State revenues towards repayment of any money so paid out.

(3) Debentures issued by the Board under this section shall be issued transferred, dealt with and redeemed in such manner as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]

[Section 45-48]

Repayment of loans 45- (1) The Board shall, for the purpose of repayment of any loan raised by it, establish a sinking fund in such manner as may be prescribed.

(2) Every such sinking fund shall be maintained, invested and applied in such manner as may be prescribed.

(3) The Board may, and if so directed by the State Government shall, create a trust in the prescribed manner for investment of a sinking fund and for repayment of the loans for which such fund was established.

Grants and loans to by Government State 46- The State Government may, from time to time, make grants or advance the Board for the purpose of this Act on such terms and conditions as the Government may determine.

Revolving shall Fund 47- (1) It shall be lawful for the Board to create a Revolving Fund into which be credited all proceeds which may be received by or on behalf of the Board in respect of sales on installment basis of any building or any unit therein constructed or reconstructed by the Board under a housing scheme.

(2) The Revolving Fund shall be held and applied solely for the purposes of construction or reconstruction of buildings under a housing scheme.

Accounts special and Audit the 48- (1) The Rural Housing Commissioner shall lay before the Board, at a meeting to be held before the commencement of a financial year, a budget of Board for that year.

(2) Every such budget shall be prepared in such form as may be prescribed and shall make provision for –

(i) the housing and improvement schemes which the Board proposes to execute whether in part or whole during that year;

(ii) the due fulfillment of all the liabilities of the Board; and

(iii) the efficient administration of this Act;

and shall contain a statement showing the estimated receipts and expenditures on capital and revenue accounts for that year, and such other particulars as may be prescribed.

(3) The Board shall after considering the budget sanction it with or without modifications and submit the same to the State Government for approval.

(4) The State Government may either approve the budget as sanctioned by the Board, or return it to the Board for such modifications as the State Government may direct.

(5) Where a budget is so returned, the Board shall forthwith make such modifications and submit the budget as so modified to the State Government, which may then approve it.

(6) The Rural Housing Commissioner may, at any time during the financial year for which a budget has been approved by the State Government, lay before the Board a supplementary budget and the foregoing provisions of this section shall *mutatis mutandis* apply to such supplementary budget.

(7) The Board shall maintain the accounts and prepare the balance sheet in such form and manner as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
50]

[Section 49-

(8) The accounts of the Board shall be audited by such auditor in such manner and such times as may be prescribed, and the auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting such matters, and such powers in respect of disallowance and surcharge against the Chairman, the Rural Housing Commissioner and members, officers and servants of the Board for any loss, waste or misappropriation of the fund or property of the Board through neglect or misconduct on their part, and shall follow such procedure in respect of surcharge and recovery of the amount surcharged, and in respect of disallowance and surcharge be subject to such appeal and in such manner, as may be prescribed.

(9) The accounts of the Board, as certified by the auditor, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government who may issue such instructions to the Board in respect thereof as it may deem fit, and the Board shall comply with such instructions.

(10) The State Government shall –

(a) cause the accounts of the Board, together with the audit report thereon, receive by it under sub-section (9) to be laid annually before each House of the State Legislature ; and

(b) cause the accounts of the Board to be published in the prescribed manner and make available copies thereof for sale at a reasonable price.

CHAPTER VII

Contracts

Power to make 49-
consider contracts

The Board may enter into and perform all such contracts as it may necessary or expedient for carrying out any of the purposes of this Act.

Execution of in contracts may be 50- (1) Every contract or assurance of property on behalf of the Board shall be writing and be executed by such authority and in such manner and form as prescribed:

Provided that no contract involving an expenditure of rupees twenty-five thousand or more shall be made without the previous sanction of the Board.

(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to every variation or abandonment of a contract or estimate as well as to an original contract or estimate.

(3) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, it shall not be necessary for the Rural Housing Commissioner or any officer of the Board, authorized to execute on behalf of the Board any agreement or other instrument, to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any such agreement or instrument or to sign as provided in section 58 of that Act:

Provided that the registering officer to whom such instrument is presented may, if he thinks fit, refer to the Rural Housing Commissioner or such officer for information respecting the same and shall, on being satisfied of the execution thereof, register the instrument.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]

[Section 51-56]

Delegation of the power in regard to by the contracts 51- Subject to any rules which the State Government may make in this behalf, Board may by order direct that the power conferred under section 50 shall be exercised by the Rural Housing Commissioner or any other officer specified Board.

Further chapter provisions as to execution of contracts 52- A contract or assurance of property not executed as provided in this and the rules made there under shall not be binding on the Board.

CHAPTER

VIII Offences and Penalties

Penalty for obstructing entered contractor or anything removing marks this 53- If any person –
(a) obstruct or molests any person with whom the Board has into a contract, in the performance by such person of his duty or of which he is empowered or required to do by virtue or in consequence of ordinance or any rule or regulation ; or

(b) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized by this Act or any rule or regulation,

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Penalty for indirectly, acquiring whether share or or on interest in 54- If the Chairman or any member of the Board acquires, directly or by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by behalf of the Board, not being a share or interest which does not disqualify for being chosen or continuing as Chairman or member; or

contract, etc.

with the

Board

himself

If any officer or servant of the board acquires, directly or indirectly, by or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether

pecuniary		or of any other nature, other than a share or interest mentioned in clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of section 7, in any contract, or, except in so far as concerns his employment as such officer or servant, in any employment with, by or on behalf of the Board.
as		
by or		
Penalty in cases	55-	If any person contravenes any provision of this Act or of any rule or other regulation made there under, he shall, if no other penalty is provided for such contravention, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and in case of continuing breach, with further fine which may extend to twenty-five rupees for each day during which the breach continues after the first convictions.
Offender's Court liability to pay Board, call compensation not pay which he	56-	(1) When any person is convicted of any offence under this Act, the convicting such person may, on application made in this behalf by the Board, call compensation upon such person forthwith to show cause as to why he should compensation to the Board for the damage caused by his act in respect of is convicted. (2) The court shall consider any cause shown by such person and, after making such inquiry as it may deem fit, may direct that such compensation, not exceeding one thousand rupees as it may determine, be paid to the Board.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
60]

[Section 57-

		(3) The amount of compensation directed to be paid under sub-section (2) shall be recoverable as fine.
Offences by companies charge	57-	(1) If the person committing an offence punishable under the Act is a company, every person who at the time the offence was committed was in of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly; Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of any managing agent, secretary and treasurer, director, manager, secretary or other officer of the company, such managing agent, secretary and treasurer, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purposes of this section-

		(a) 'Company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals, and
		(b) 'Director' in relation to a firm, means a partner in the firm.
Procedure Act an after the	58-	(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this except on the complaint of or upon information received from, the Board or officer of the Board duly authorized in this behalf, within six months next commission of the offence. (2) No court inferior to that of a magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

- Duty of police officers 59- It shall be the duty of every police officer-
carrying
- (a) to co-operate with the Rural Housing Commissioner for into effect and enforcing the provisions of this Act and the rule;
 - (b) to communicate without delay to the proper officer or servant of the Board any information which he receives of a design to commit or of the commission of any offence against the provisions of this Act or any rule; and
 - (c) to assist the Rural Housing Commissioner or any officer or servant of the Board requiring his aid for the lawful exercise of any power vesting in the Rural Housing Commissioner or any such officer or servant under this Act or any rule.
- Compounding of offences 60- (1) Any offence punishable under this Act may either before or after the institution of the prosecution be compounded by the Rural Housing Commissioner or by any officer authorized in this behalf by the Rural Housing Commissioner by a general or special order, on such terms as the Rural Housing Commissioner or other officer, as the case may be, thinks fit.

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]

[Section 61-63]

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged or acquitted, as the case may be, and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence compounded.

CHAPTER IX

Miscellaneous

- Applicability of certain constituted provision of servants as they apply to the Avas Uttar Pradesh the first mentioned acts and to its Act 1 of 1966 61- The provisions of sections 83 to 93 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 shall *mutatis mutandis* apply to the Board under this Act and to its members, officers and Evam Vikas Parishad constituted under members, officers and servants.
- Power to make out the rules 62- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying purpose if this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-
 - (a) the allowances, if any payable to the members of the Board;
 - (b) the conditions of service or the Rural Housing Commissioner;
 - (c) the manner of maintenance of accounts of income and expenditure of the Board;
 - (d) the exercise of supervision and control by the Rural Housing Commissioner over officers and servants of the Board;
 - (e) the delegation of powers by the Board under sub-section (1) or by the Rural Housing Commissioner under sub-section (2) of section 13;
 - (f) the matters to be provided for in a housing scheme;
 - (g) the procedure to be followed by the Tribunal in proceedings before them;
 - (h) the conditions and limitations subject to which the Board may acquire and dispose of land by agreement;
 - (i) any matter for which regulation may be made by the Board under section 63.
 - (a) the appointment, constitution and procedure of committees;
 - (b) the time and place of, and the manner of convening the meetings of the Board and its committees;
 - (c) the duties of officers and servants of the Board;

- (d) the conditions of service of officers and servants of the Board;
- (e) the preparation of plans and estimates for work;
- (f) the preparation of budgets and estimates;
- (g) the authority on which moneys may be paid from the Board's fund;
- (h) the manner of publication of public notices;

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]
65]

[Section 64-

(i) the stamping of facsimile of signatures of the Rural Housing Commissioner and officers of the Board on notices, bills and other documents;

(j) the fees payable for copies of documents, estimates and plans issued by the Board;

(k) the management, used and allotment of buildings constructed under any housing or improvement scheme;

(l) any other matter which is to be or may be provided for by regulation under this Act or the rules.

(2) If any regulations is repugnant to any rule made under the Act then the rule whether made before or after the regulation shall prevail and the regulation shall to the extent of the repugnancy be void.

Power to
remove
being difficulties
that this
subject
it

- 64- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reason of anything contained in this Act, or any other enactment for the time in force, the State Government may, as occasion requires, by order direct Act shall during such period as may be specified in the order, have effect to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as may deem to be necessary or expedient.
- (2) Any order made under sub-section (1) may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.
- (3) No order shall be made under sub-section (1) in relation to any area after the expiry of three years from the date of commencement of this Act.
- (4) An order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the House of State Legislature.
- (5) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Repeal and
and savings

- 65- The operation of section 162 to 171 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis Zila Parishads Adhiniyam, 1961, and of the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962, the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operation) Act, 1958, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (except in relation to those housing or Improvement schemes) which have either been notified under section 32 of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 before the declaration of any scheme under this Act or which having been notified under section 28 of this said Adhiniyam before the said declaration are thereafter approved by the State Government for continuance under the said Adhiniyam or which are initiated after such declaration with the approval of the State Government and Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 shall remain suspended in respect of any area in which any scheme under this Act in force and the provisions of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply in relation to such suspension as if the suspension amounted to repeal of the said enactment by this Act.

Pradesh

[The Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983]

[Section 66-67]

Amendment of section 3 of U.P. Act 66- In the Uttar Pradesh Industrial Housing Act, 1955, in section 3- (a) in sub-section (1) after the words “Uttar Pradesh Avas and Vikas no. 23 of Parishad” the words “established under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas 1955 Parishad Adhiniyam, 1965 or Uttar Pradesh Rural Housing Board established under the Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983” shall be inserted;

(b) in sub-section (3), after the words “Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Adhiniyam 1965”, the words “or the Uttar Pradesh Rural Housing Board Act, 1983” shall be inserted.

Repeal and Savings 67- (1) The Uttar Pradesh Rural Housing Board Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1982

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1983}

THE UTTAR PRADESH RURAL HOUSING BOARD ACT, 1982

[U.P. ACT NO. 27 OF 1983]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम,
1982 {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1983}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश में मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय —एक

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 कहा संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ जायगा।

(2) इसका विस्तार रक्षा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि और छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

2— इस अधिनियम में, —

परिभाषाएं

(क) “परिषद्” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् से है;

(ख) “अध्यक्ष” का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ग) “आवास योजना” का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी आवास योजना से है;

(घ) “भूमि” के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध या भूमि से सम्बद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तु भी है;

(ङ) “सदस्य” का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) “विहित” का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है;

(छ) “कार्यक्रम” का तात्पर्य धारा 25 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक

आवास कार्यक्रम से है;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर, किसी जिले के क्षेत्र से है,—

(एक) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर,

(दो) संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी),

(तीन) संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया,

(चार) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन घोषित और परिभाषित प्रत्येक टाउन एरिया

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

3—4}

(पांच) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन "विकास क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्र,

(छः) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र,

(सात) किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र,

जब तब कि राज्य सरकार उपर्युक्त सुसंगत अधिनियमिति के अधीन सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र के भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र न घोषित करें;

(झ) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 40 के अधीन गठित अधिकरण से है।

अध्याय —दो

परिषद् की स्थापना

3— (1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, परिषद् राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् के नाम से एक परिषद् की शक्ति स्थापना की जायगी।

ग्रामीण आवास

स्थापित करने की

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी और इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के, जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 भी है, प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझा जाएगा।

4— (1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

परिषद् की संरचना

{(क) एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नाम—

अध्यक्ष

निर्दिष्ट किया जायगा,}।

(ख) तीन गैर-सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सदस्य

नाम—निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, पदेन;

सदस्य

(घ) निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, सदस्य

(सहारनपुर), पदेन;

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

सदस्य

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पदेन;

सदस्य

(छ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थागत वित्त विभाग, पदेन;

सदस्य

(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन सहायक तथा समाज सदस्य

कल्याण विभाग, पदेन;

(झ) प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, लखनऊ, पदेन;

सदस्य

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

5-7}

(ज) निदेशक, भवन संगठन, निर्माण-कार्य एवं आवास मंत्रालय,

सदस्य भारत सरकार, पदेन;

(ट) मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा, पदेन;

सदस्य

(ठ) ज्येष्ठ वास्तुविद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

सदस्य पदेन;

(ड) सलाहकार, प्रोजेक्ट प्लानिंग, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम

सदस्य कारपोरेशन लिमिटेड, पदेन,

(ढ) ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्

सदस्य पदेन;

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ड), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग में अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का और मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम-निर्देशन गजट में अधिसूचित किया जायगा।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद-त्याग कर सकता है, किन्तु त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे स्वीकार न कर लिया जाय।

5— (1) पदेन सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जब तक निर्बन्धन और

सदस्यता के

कि उसे राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित आदेश से, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

शर्तें

(2) परिषद् के सदस्यों को ऐसा भत्ता दिया जायगा, जैसा विहित किया जाय।

(3) इस धारा के अधीन देय भत्तों का भुगतान परिषद् की निधि से किया जायगा।

6— (1) जब अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो, तब राज्य सरकार ऐसी रिक्ति की अस्थायी

अध्यक्ष के पद में

अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है, शक्ति

रिक्ति को भरने की

और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष समझा जायगा।

(2) यदि अध्यक्ष से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य अशक्तता के कारण या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय या छुट्टी पर होने या ऐसे किसी अन्य कारण से, जिससे उसकी सदस्यता समाप्त न हो, अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

7— (1) कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के अनर्हता

सदस्या के लिए

लिए अनर्ह होगा, यदि वह,—

(क) धारा 5 और 6 में की गई व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो;

(ख) विकृत चित्त का हो;

(ग) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(घ) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो;

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

8-10}

(ड) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो;

(च) किसी ऐसी निगमित कम्पनी का, जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी हो।

(2) कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसका या उस निगमित कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी है;

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय या उसके लिये किए गए किसी करार में;

(ख) धन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में;

(ग) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है;

(घ) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करती है, यदा-कदा बिक्री में;

कोई अंश या हित है, उपधारा (1) के खण्ड (ड) या खण्ड (च) के अधीन अनर्हित नहीं होगा या यह नहीं समझा जायगा कि उक्त खण्डों के अर्थान्तर्गत किसी संविदा या सेवायोजन में उसका कोई अंश या हित है।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी का अंशधारी है, जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका परिषद् के साथ, या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है।

8— (1) परिषद् का या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य — कार्यवाहियों में

भाग लेने से अनर्हता

किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड

(ड) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित है, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से, जिसका उसमें उपर्युक्त प्रकार का कोई अंश या हित है, व्यावसायिक रूप से कार्य किया है,

धारा 7 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की या उसको समिति की ऐसे मामले से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि परिषद् या उसकी समिति के किसी सदस्य का इस अधिनियम के अधीन बनायी गई किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में या ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हित है तो वह परिषद् या उसकी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी मामले पर विचार किया जाय, भाग नहीं लेगा।

9— परिषद् के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की किसी अनर्हता या दोष अविधिमान्य

से या परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष होने से परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही दूषित या अविधिमान्य नहीं होगी यदि ऐसा कार्य या कार्यवाही अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो।

10— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्रामीण आयुक्त

आवास आयुक्त होगा।

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। उसे परिषद् की निधि से पारिश्रमिक दिया जायगा।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983} {धारा 11-15}

परिषद् की

(क) जिसका

कतिपय कार्य

नहीं होंगे

ग्रामीण आवास

11— (1) ऐसे नियंत्रण और निबन्धन के अधीन रहते हुए, जिसे राज्य सरकार द्वारा और	परिषद् के अधिकारी
विशेष या सामान्य आदेश से समय-समय पर आरोपित किया जाय, परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।	सेवक
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायें।	
(3) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने अधीन किसी पद पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी सम्मत हो, नियुक्त कर सकती है।	
12— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते कर्मचारियों पर	परिषद् के
हुए ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के सभी अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।	नियंत्रण
13— (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद्, सामान्य प्रत्यायोजन	शक्तियों का
या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।	
(2) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्रामीण आवास आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां और कर्तव्य न हो, प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।	
अध्याय — तीन	
आवास योजना	
14— (1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह-स्थान की कमी को बनाना	आवास योजना
पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो परिषद् आवास योजना बना सकती है।	
(2) ऐसी योजना में इसका विन्यास विनिर्दिष्ट किया जायगा, जहां पर गृह-निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् और अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह-निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।	
(3) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या उसका विक्रय कर सकती है, जिसके अन्तर्गत अवक्रय (हायर परचेज) भी है।	
(4) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।	
15— यदि परिषद् किसी ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में आवास योजना बनाते समय, योजना क्षेत्रों से	योजना में ग्रामीण
के अधीन गृह-निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी क्षेत्र को, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आसन्न सम्मिलित	भिन्न क्षेत्रों का
है किन्तु जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, योजना में सम्मिलित करना आवश्यक समझती है तो, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे सक्षम प्राधिकारी से, जिसकी अधिकारिता में ऐसी भूमि पड़ती है, परामर्श करने के पश्चात् ऐसी भूमि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर	किया जाना

सकती है और ऐसी घोषणा के पश्चात् ऐसे क्षेत्र को योजना में सम्मिलित करना परिषद् के लिए विधिपूर्ण होगा।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
16-17}

{धारा

16— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवास व्यवस्था

विषय, जिनकी

योजना में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्—
की

आवास योजना में
जायगी

(क) योजना के लिए आवश्यक या उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण;

(घ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त निवास स्थानों या निवास स्थानों के भागों को गिराना या हटाना;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवनों या भवनों के भागों को गिराना;

(च) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय (जिसके अन्तर्गत अवक्रय भी है) पट्टे पर देना या विनिमय;

(ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों, पुलियों और उपसेतुओं का निर्माण या उनमें परिवर्तन;

(झ) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में जलोत्सारण, जल सम्भरण या रोशनी की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ दुकानों, विद्यालयों, पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों की व्यवस्था और वर्तमान पार्कों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और उपमार्गों को विस्तृत करना;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल सम्भरण के अन्य स्रोतों और साधनों का संरक्षण और उन्हें क्षति पहुंचने या दूषित होने से बचाना भी है;

(ठ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, कृषि श्रमिकों, आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों और किसी अन्य वर्ग के निवासियों के लिये आवास स्थान;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिए ऋण देना;

(ढ) संचार और परिवहन संबंधी सुविधाएं;

(ण) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्र करना;

(त) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

17— (1) धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी पर

आवास योजनाओं

क्षेत्र के लिये, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन कोई आवास या सुधार योजना स्वीकृत की गई है, न तो कोई आवास योजना बनायी जायगी और न ऐसी आवास योजना में कोई ऐसी बात होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी नगर नियोजन योजना में सम्मिलित किन्हीं विषयों से असंगत हो।

निर्बन्धन

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी आवास योजना में ऐसा कोई क्षेत्र सम्मिलित है, जो किसी आवास या सुधार योजना में सम्मिलित है या उसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नगर नियोजन योजना में सम्मिलित किसी विषय से असंगत कोई बात है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
18-21}

{धारा

18— (1) जब कोई आवास योजना बना ली जाय, तब परिषद् इस आशय की एक लिए

आवास योजनाओं के

नोटिस तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जायेंगी :—

नोटिस

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमा;

(ख) दिनांक, समय और स्थान, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना की विशिष्टियां और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा देखा जा सकता है; और

(ग) दिनांक जब तक योजना के संबंध में आपत्तियां की जा सकती है।

(2) परिषद् —

(क) उक्त नोटिस को लगातार तीन सप्ताह तक, प्रत्येक सप्ताह— (एक) गजट में और (दो) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा, प्रकाशित करायेगी, जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचालन हो; और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजेगी, जिनकी अधिकारिता के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो।

(3) ग्रामीण आवास आयुक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी भी आवेदक को ऐसी फीस का, जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, भुगतान करने पर दिलायेगा।

19— किसी आवास योजना के संबंध में धारा 18 के अधीन किसी नोटिस के पहली नोटिस

प्रस्तावित अर्जन का

बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, नोटिस तामील करेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिये किसी विनिर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का प्रस्ताव करती है।

20— (1) कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, नोटिस की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपत्तियां

(2) कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 19 के अधीन नोटिस तामील की गयी हो, नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसके लिए परिषद् पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है।

(3) कोई अन्य व्यक्ति, धारा 18 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

21— (1) पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार परित्याग,

योजना का

करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद्, यथा सम्भव, ऐसी अन्तिम आपत्ति की प्राप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर या तो योजना का परित्याग कर सकती है या उसे ऐसे उपान्तर सहित, यदि कोई हो, जैसा परिषद् सुझाव दे, स्वीकृत के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।

उपान्तर या स्वीकृति

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को उपान्तर सहित या उपान्तर रहित, स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गयी योजना में परिषद् द्वारा उपान्तर कर दिया जाय तो उसे धारा 18 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायगा —

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

22-24}

(क) यदि उपान्तर के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता है या उसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्गस्त है; या

(ख) यदि परिषद् की राय में उपान्तर इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित है,

तो इस प्रकार पुनः प्रकाशित किए जाने पर, धारा 19 और धारा 20 में विहित प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायगा मानों पुनः प्रकाशन धारा 18 के अधीन किया गया मूल प्रकाशन है।

22— (1) जब कभी राज्य सरकार किसी आवास योजना को स्वीकृत करे, तब उसे गजट में अधिसूचित किया जायगा।

योजना का प्रारंभ

(2) किसी योजना के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगी कि योजना सम्यक् रूप से बनायी और स्वीकृत की गयी है।

(3) योजना उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

23— (1) किसी आवास योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् और उसके पूर्णरूप से निष्पादित किये जाने के पूर्व, किसी भी समय परिषद् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है :

योजना में परिवर्तन

परन्तु —

(क) किसी आवास योजना में कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिसमें किसी भूमि या भवन का जिसे मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, करार से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, तो परिषद् प्रस्तावित परिवर्तन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र में, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाय, तामील करेगी और नोटिस तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के जिसके लिये परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, भीतर नोटिस के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देगी;

(ख) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी योजना में परिवर्तन या उसे निरस्त नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना में कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में अधिसूचित किया जायगा और वह ऐसी अधिसूचना के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी ऐसे उपान्तर का मूल योजना के अधीन पहले से की गयी किसी कार्यवाही की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

24— (1) जहां किसी आवास योजना के संबंध में धारा 18 के अधीन कोई नोटिस प्रस्तावित

योजना के लिए

प्रकाशित की गई हो, वहां कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी क्षेत्र में

या उसमें समाविष्ट भवन निर्माण पर

निर्बन्धन जाय और यदि योजना प्रवृत्त हो गयी हो तो उसके प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के दौरान योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन या अन्य प्रकार से भूमि का विकास योजना के विरुद्ध और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल, जिन्हें ग्रामीण आवास आयुक्त इस निमित्त अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र दिए जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे, नहीं करेगा।

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त के उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा न देने या निर्बन्धन या शर्तें आरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाए, परिषद् को अपील कर सकता है, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

[उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983] {धारा 25—30}

25— (1) प्रत्येक वर्ष पहली दिसम्बर से पूर्व परिषद्—

वार्षिक बजट और कार्यक्रम

आवास

(एक) एक कार्यक्रम,

(दो) अगले वर्ष का बजट,

ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

(2) कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) ऐसी आवास योजना की, जिसे परिषद् अगले वर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव करे, ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जाय;

(ख) ऐसे किसी उपक्रम की विशिष्टियां, जिन्हें परिषद् भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के दौरान संगठित या निष्पादित करने का प्रस्ताव करे; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जायें।

(3) बजट में ऐसा विवरण होगा, जिसमें अगले वर्ष के लिए पूंजीगत और राजस्व लेखों पर अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जायगा।

26— राज्य सरकार भेजे गए कार्यक्रम और बजट को ऐसे उपान्तर के साथ जैसा वह कार्यक्रम और बजट का उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है। इस प्रकार स्वीकृत कार्यक्रम और बजट को उनके स्वीकृत स्वीकृत किया जाना किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

27— परिषद् उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में धारा 26 के अधीन कोई कार्यक्रम अनुपूरक कार्यक्रम और स्वीकृत किया गया हो, किसी भी समय, राज्य सरकार को अनुपूरक कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत बजट कर सकती है और धारा 25 के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक कार्यक्रम और बजट पर लागू होंगे।

28— परिषद् किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी कार्यक्रम या उसके कार्यक्रम में परिवर्तन किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है :

परन्तु ऐसा परिवर्तन, जिससे ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित किसी आवास योजना के कार्यक्रम क्षेत्र या प्रयोजन पर प्रभाव पड़े, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा और धारा 26 के उपबन्ध ऐसे परिवर्तन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

29— (1) धारा 26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम स्वीकृत किए जाने के आवास योजना का पश्चात्, परिषद् धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यक्रम में सम्मिलित आवास योजना निष्पादन को निष्पादित करने की कार्यवाही करेगी।

(2) परिषद् किसी आवास योजना में दिए गए किसी कार्य का निष्पादन किसी स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से कर सकती है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह परिषद् को किसी आवास योजना के निष्पादन में, यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सहमति से उक्त सरकार या प्राधिकारी के किसी अभिकरण को नियोजित करने से निषिद्ध करती है।

30— (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 या तत्समय परिषद् में गांव सभा की प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय भूमि का निहित होना

प्राधिकारी की या उसमें निहित कोई सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी आवास योजना में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित हो, और ऐसी योजना के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो, वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसी गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को यह नोटिस देगी कि उसकी योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

31-34}

(2) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति दे तो ऐसी सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग ऐसी सहमति के दिनांक से परिषद् में निहित हो जायगा।

(3) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति न दे तो यह विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) इस धारा की किसी बात का प्रभाव ऐसी सड़क, स्क्वायर या भूमि में किसी नाली या जल-कल पर गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार या शक्ति पर नहीं पड़ेगा।

31— (1) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और परिषद् यह प्रतिकर कब देय होगा

घोषणा करे कि वह ऐसी भूमि को तब तक प्रतिधृत करेगी जब तक वह धारा 34 के अधीन किसी सड़क या खुली जगह के भाग के रूप में सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में

पुनः निहित नहीं हो जाती, वहां ऐसी भूमि के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं होगी।

(2) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और भूमि के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा न की जाय, वहां परिषद् सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को भूमि के बाजार मूल्य के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में देगी।

(3) जहां परिषद् ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के संबंध में घोषणा की है और परिषद् घोषणा के निबन्धनों के प्रतिकूल भूमि को इस प्रकार प्रतिधारित करती है या उसका निस्तारण करती है कि भूमि गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी में पुनः निहित न हो, वहां परिषद् उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर देगी।

32— (1) परिषद् किसी सार्वजनिक सड़क, जो उसमें निहित हो उसको या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, पथान्तर कर सकती है, सार्वजनिक उपयोग रोक सकती है या को स्थायी रूप से बंद कर सकती है।

परिषद् में निहित

सार्वजनिक सड़क

मोड़ने या बन्द करने
की परिषद् की

शक्ति

(2) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग को सार्वजनिक उपयोग के लिये रोक दे या स्थायी रूप से बन्द कर दे, तो वह, यथा साध्य, उसके बदले में पहुंचने के किसी अन्य युक्तियुक्त साधन की व्यवस्था करेगी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो जन-समुदाय के एक सदस्य मात्र से भिन्न रूप में पहुंचने के साधन के रूप में ऐसी सड़क या भाग का उपयोग करने के लिये हकदार है और जिसे इस प्रकार रोकने या बंद करने के कारण क्षति हुई है, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान करेगी।

(3) जब परिषद् में निहित कोई सार्वजनिक सड़क या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय, तब परिषद् उसका उतना भाग, जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच सकती है या पट्टे पर दे सकती है।

33— यदि धारा 31 या धारा 32 के अधीन किसी प्रतिकर की देयता या उक्त धाराओं अधिकरण

कतिपय विवाद

के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि के संबंध में कोई विवाद हो तो इस मामले को अधिकरण की निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

को निर्देश करना

34— (1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि,—

कतिपय

खुले स्थानों

अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना में यथा व्यवस्थित रीति से परिषद् द्वारा विन्यासित या परिवर्तित किसी सड़क को सम्यक् रूप से समतल कर दिया है, खड्जा बिछा दिया गया है, पक्का बना दिया गया है, सीमाबद्ध कर दिया गया है, नाली, मल-वहन और जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई है; और

गांव सभा में

सड़कों और

(क) धारा 21 के

का निहित होना

(ख) ऐसे लैम्प, रोशनी के खम्भों और अन्य उपकरणों की जिन्हें गांव सभा ऐसी सड़कों पर रोशनी के लिए आवश्यक समझे और जिनकी परिषद् द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था कर दी गई है; और

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

35-37}

(ग) ऐसी सड़क पर जल और अन्य स्वच्छता सुविधाओं की सम्यक् रूप से व्यवस्था कर दी गई है।

तब राज्य सरकार ऐसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है और तदुपरांत सड़क गांव सभा में निहित हो जायगी और उसके पश्चात् ऐसी गांव सभा द्वारा उसका अनुरक्षण, मरम्मत, प्रकाश और सफाई की जायगी।

(2) जब किसी आवास योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा संवातन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गयी हो, तब योजना पूरी होने पर, उसे परिषद् के संकल्प द्वारा सम्बद्ध गांव सभा को अन्तरित कर दिया जायगा और तदुपरांत यह ऐसी गांव सभा में निहित हो जायगा और उसके व्यय पर उसका अनुरक्षण किया जायगा।

(3) यदि इस धारा में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिषद् और गांव सभा के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

35— परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह भवनों का शीघ्र और सस्ता निर्माण करने कर्तव्य की दृष्टि से कार्यवाही करे, और परिषद् इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित के लिये सभी कुछ कर सकती है :—

परिषद् के अन्य

- (क) भवन निर्माण सामग्रियों का एकीकरण, सरलीकरण और मानकीकरण करना;
- (ख) गृह संघटक वस्तुओं की पूर्व गढ़ाई (प्री-फैब्रीकेशन) और बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना;
- (ग) आवास योजनाओं के लिए अपेक्षित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन की सुव्यवस्था करना या उत्तरदायित्व लेना;
- (घ) सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों की खोज करने के लिये अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित करना और सस्ते निर्माण की नई विधियों का विकास करना;
- (ङ) भवनों के निर्माण-कार्य में प्रशिक्षित श्रमिकों की लगातार और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (च) पूर्व उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए यथा-आवश्यक समस्त अन्य कार्य करना।

36— परिषद् को निम्नलिखित की व्यवस्था करने की शक्ति होगी—
पुनर्गठन

भू-खण्ड का

- (क) किसी मूल भू-खण्ड की सीमा में परिवर्तन करके पुनर्गठित भू-खण्ड बनाना;
- (ख) स्वामियों की सहमति से, दो या अधिक मूल भू-खण्ड, जिनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग या संयुक्त रूप से स्वामित्व हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करके या परिवर्तन किए बिना पुनर्गठित भू-खण्ड के रूप में सामान्य स्वामित्व में रखे जायेंगे;
- (ग) किसी ऐसे स्वामी को, जो आवास योजना के कार्यान्वयन में भूमि से वंचित हो गया हो भू-खण्ड का आवंटन करना; और
- (घ) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भू-खण्ड के स्वामित्व का अन्तरण करना।

अध्याय—चार

भूमि का अर्जन और निस्तारण

37— (1) परिषद् किसी व्यक्ति से ऐसी किसी भूमि का, जिसकी किसी आवास योजना के करने या प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो या ऐसी भूमि में किसी हित का क्रय करके, पट्टे पर लेकर या विनिमय द्वारा अर्जन करने के लिये या उसके किसी स्वामी को उससे वंचित रखने या उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकार की क्षतिपूर्ति के लिये उससे करार कर सकती है।

करार द्वारा क्रय

पट्टे पर देने की

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

38—42}

(2) इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी हित को भी उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है।

38— इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन निस्तारण

भूमि आदि का

रहते हुए, परिषद् अपने मे निहित और इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी आवास योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित किसी भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति को प्रतिधारित कर सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है या उसका अन्य प्रकार से निस्तारण कर सकती है।

करने की शक्ति

- 39— (1) जहां किसी आवास योजना के निष्पादन के फलस्वरूप किसी भू-खण्ड का भू-खण्डों के पुनर्गठन के संबंध में विवाद पुनर्गठन किया जाय या किसी व्यक्ति को किसी भूमि से बेदलखल किया जाय, वहां ऐसे पुनर्गठन या बेदखली से प्रभावित कोई व्यक्ति प्रतिकर के लिये विहित रीति से परिषद् को आवेदन कर सकता है।
- (2) परिषद् ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आवेदक को देय प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, अवधारित कर सकती है।
- (3) यदि आवेदक, उपधारा (2) के अधीन परिषद् के विनिश्चय से असंतुष्ट हो तो वह अधिकरण को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है।
- (4) परिषद्, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति को करेगा, जिसे उसका हकदार पाया जाय।

अध्याय —पांच

अधिकरण

- 40— (1) प्रत्येक जिले का जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिकरण के गठन करेगा।
- (2) अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी विहित की जाए।
- (3) किसी धनराशि का भुगतान करने या किसी स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने या ऐसी सम्पत्ति से किसी संरचना को हटाने का अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और इस रूप में उसका निष्पादन किया जायगा।
- (4) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

- (5) अधिकरण का सदस्य ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा, जैसा विहित किया जाय।

41— अधिकरण धारा 31 और 32 के अधीन देय प्रतिकर से संबंधित समस्त प्रश्नों और धारा 39 के अधीन प्रस्तुत समस्त अपीलों का विनिश्चय करेगा और अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा। अधिकरण के कर्तव्य

42— इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये अधिकरण को वही शक्तियां होगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है :— अधिकरण की शक्ति

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
43—44}

{धारा

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ग) किसी भवन या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करना या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ङ) विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तदनुसार आदेश देना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

अध्याय —छः

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

- 43— (1) परिषद् की अपनी निधि होगी, जिसे स्थानीय निधि समझा जायगा और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायगी। वित्तीय उपबन्ध
- (2) परिषद् की निधि भारतीय स्टेट बैंक में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायगी :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह परिषद् को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिये आवश्यक हो, या निधि के किसी ऐसे भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से प्रवारित करती है।

(3) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाये, परिषद् समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऋण ले सकती है या वित्तीय प्रबन्ध कर सकती है।

(4) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाये, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह-निर्माण के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम दे सकती है।

44— (1) परिषद् समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, ऋण-पत्र जारी कर सकती है।

ऋण-पत्र

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और ब्याज या मूलधन या ब्याज के भुगतान की ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है :

परन्तु राज्य सरकार जब तक कोई ऐसी प्रत्याभूति प्रवृत्त हो, प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गयी प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हो, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी, जिनका भुगतान किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो या जिनका भुगतान इस प्रकार दी गयी किसी धनराशि का प्रतिदान करने के लिये राज्य के राजस्व में किया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी किए जायेंगे, अन्तरित किए जायेंगे, उनके संबंध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा, जैसी विहित की जाय।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983} {धारा 45-48}

45— (1) परिषद् अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण-पत्र ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी।

ऋण का प्रतिदान

(2) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायगा जैसी विहित की जाय।

(3) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिए जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी थी, विहित रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाय तो वह सृजन करेगी।

46— राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह अवधारित अनुदान और करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषद् को अनुदान या ऋण दे सकती है।

सरकार द्वारा

ऋण

47— (1) परिषद् के लिये एक ऐसी परिक्रामी निधि का सृजन करना विधिपूर्ण होगा जिसमें ऐसे समस्त आगम जमा किए जायेंगे, जो किसी आवास योजना के अधीन परिषद् द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित किसी भवन या उसमें किसी इकाई के किस्त के आधार पर बिक्री के संबंध में परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त हो।

आवर्तक निधि

(2) आवर्तक निधि किसी आवास योजना के अधीन भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिये ही रखी जायेगी और उसका प्रयोग किया जायगा।

48— (1) ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व लेखा-परीक्षा होने वाली विशेष बैठक में उस वर्ष के लिये परिषद् का बजट रखेगा।

लेखा और

(2) प्रत्येक ऐसा बजट ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा, जैसा विहित किया जाय और उसमें,—

(एक) ऐसी आवास और सुधार योजना, जिन्हें परिषद् उस वर्ष में आंशिक या पूर्णरूप में निष्पादित करने का प्रस्ताव करती है,

(दो) परिषद् के समस्त दायित्वों को सम्यक् रूप से पूरा करने, और

(तीन) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन,

के लिये व्यवस्था की जायगी और उसमें एक ऐसा विवरण-पत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिये पूंजीगत और राजस्व लेखे पर अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय, और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ दी जायेंगी जैसी विहित की जायें।

(3) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे उपान्तर सहित या उसके बिना स्वीकृत करेगी, और उसे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा स्वीकृत बजट का या तो अनुमोदन कर सकती है, या उसे परिषद् को ऐसे उपान्तरों के लिये जैसा राज्य सरकार निदेश दे, वापस कर सकती है।

(5) जहां बजट इस प्रकार वापस कर दिया जाय, वहां परिषद् तुरन्त ऐसे उपान्तर करेगी और इस प्रकार यथा उपान्तरित बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, जो तत्पश्चात् उसका अनुमोदन कर सकती है।

(6) ग्रामीण आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिया गया है, किसी भी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के संबंध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी और तुलन-पत्र तैयार करेगी।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
49-50}

{धारा

(8) परिषद् के लेखे की लेखा-परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी जैसी विहित की जाय, और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के संबंध में दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने और सूचना दिए जाने की अपेक्षा करने की ऐसी शक्ति और परिषद् की निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष, ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों की उपेक्षा या उनके दुराचरण के कारण हुई किसी हानि, अपव्यय या दुर्विनियोग के लिये उनके विरुद्ध अस्वीकृति और अधिभार के संबंध में ऐसी शक्तियाँ होंगी, और अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूली के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जैसी विहित की जाय और उनके अस्वीकृति और अधिभार के संबंध में ऐसी अपील ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय।

(9) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा और उसके संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके संबंध में परिषद् को ऐसे अनुदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेगी।

(10) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (9) के अधीन प्राप्त परिषद् का लेखा और उनके संबंध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी; और

(ख) परिषद् के लेखे को विहित रीति से प्रकाशित करायेगी और युक्तियुक्त मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायेगी।

अध्याय — सात

संविदा

49— परिषद् ऐसी समस्त संविदाएं कर सकती है और उनका निष्पादन कर सकती है, शक्ति

संविदा करने की

जिन्हें वह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

50— (1) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति संबंधी हस्तान्तरण—पत्र लिखित निष्पादन	संविदाओं का
रूप में होगा और उसका निष्पादन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में किया जायगा, जैसा विहित किया जाय :	
परन्तु पच्चीस हजार रुपये या इससे अधिक व्यय वाली कोई संविदा परिषद् की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जायेगी।	
(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी संविदा या प्राक्कलन में किए गए प्रत्येक परिवर्तन या उसका परित्याग करने पर और किसी मूल संविदा या प्राक्कलन पर भी लागू होंगे।	
(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी करार या अन्य लिखत का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है :	
परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिसे ऐसा लिखत प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो लिखत के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे ग्रामीण आवास आयुक्त या ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है और उसके निष्पादन के संबंध में समाधान हो जाने पर, उस लिखत का रजिस्ट्रीकरण करेगा।	
[उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983] [धारा 51—56]	
51— ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, परिषद् शक्ति	संविदा के संबंध में
आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि धारा 50 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा।	का प्रत्यायोजन
52— कोई संविदा या सम्पत्ति का हस्तान्तरण—पत्र जो कि इस अध्याय और इसके अधीन के	संविदा के निष्पादन
बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के अनुसार निष्पादित न हो, परिषद् पर बाध्यकारी न	संबंध में अग्रतर
उपबन्ध होगा।	
अध्याय — आठ अपराध और शास्तियां	
53— यदि कोई व्यक्ति—	संविदाकार के कार्य
में	रूकावट डालने या
चिन्ह (क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ परिषद् ने संविदा किया है, अपने शास्ति कर्तव्य या किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रूकावट डाले या उत्पीड़ित करें जिसे इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के आधार पर या परिणामस्वरूप करने के लिये वह अधिकृत है या करने की उससे अपेक्षा की गयी है, या	हटाने के लिए
(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजनों के लिये लगाए गए किसी ऐसे चिन्ह को हटाए जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण—कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है,	
तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	
54— यदि अध्यक्ष या परिषद् का कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या संविदा	परिषद् के साथ
किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से हित	आदि में अंश या
किसी संविदा या सेवायोजन में अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित लिए	अर्जित करने के
करे, जो ऐसा अंश या हित हो जो अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित करता हो; या	शास्ति
यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी	

संविदा में, या जहां तक उसका संबंध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर किसी सेवायोजन में धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में उल्लिखित अंश या हित से भिन्न अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित करें, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

55— यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या शास्ति

अन्य मामलों में

विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए कोई अन्य शास्ति की व्यवस्था न हो, जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा, और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराए जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

56— (1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष

अपराधी का
प्रतिकर

ठहराया जाय, तब ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय परिषद् द्वारा इस निमित्त दायित्व

भुगतान करने का

आवेदन-पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से तुरन्त यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये जिसके संबंध में वह सिद्धदोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करे।

(2) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे यह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जैसा वह अवधारित करे, भुगतान परिषद् को किया जाय।

[उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983] [धारा 57-60]

(3) उपधारा (2) के अधीन भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित प्रतिकर की धनराशि जुर्माना के रूप में वसूल की जा सकेगी।

57— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध को करने वाला कोई अपराध

कम्पनियों द्वारा

व्यक्ति कम्पनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा, और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये पूर्णरूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

58— (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का

प्रक्रिया

संज्ञान अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद किये जाने के या उससे सूचना प्राप्त हुए बिना नहीं करेगा।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

59— प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—
के

पुलिस अधिकारियों
कर्तव्य

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करने के लिए ग्रामीण आवास आयुक्त को सहयोग दे;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के उपबन्धों के विरुद्ध किये जाने वाले या किये गये किसी अपराध की कोई सूचना जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब दें; और

(ग) ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दें, जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त या किसी ऐसे अधिकारी या सेवक में निहित किसी शक्ति का विधिसंगत प्रयोग करने के लिये उससे अपेक्षा करे।

60— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन

अपराधों का शमन

संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा या ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति, ग्रामीण आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}

{धारा

61-63}

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, यथास्थिति, उन्मोचित या दोष मुक्त कर दिया जायगा और शमनित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

अध्याय—नौ

प्रकीर्ण

61— उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 की धारा 83 से 93 के

उत्तर प्रदेश

अधिनियम सं उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन गठित परिषद् और उसके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों पर

01, वर्ष 1966 के कतिपय यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे प्रथम उल्लिखित अधिनियम

उपबन्धों की प्रयोज्यता के अधीन गठित आवास एवं विकास परिषद् और उसके

सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों पर

लागू होते हैं।

62— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित की शक्ति करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —

(क) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो;

(ख) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें;

(ग) परिषद् के आय-व्ययक का लेखा रखने की रीति;

(घ) ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा परिषद् के अधिकारियों और सेवकों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा या उपधारा (2) के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(च) किसी आवास योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय;

(छ) अधिकरण द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) शर्तें और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए परिषद् करार द्वारा भूमि का अर्जन और निस्तारण कर सकती है;

(झ) कोई विषय, जिसके लिये धारा 63 के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जा सके।

63— (1) परिषद्, गजट में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए की शक्ति विनियम बना सकती है :-

विनियम बनाने

(क) समितियों की नियुक्ति, उनका गठन और प्रक्रिया;

- (ख) परिषद् और उसकी समितियों की बैठक का समय और स्थान और उनको बुलाने की रीति;
- (ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों का कर्तव्य;
- (घ) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें;
- (ङ) निर्माण कार्यों के लिये योजनाएं और अनुमान तैयार करना;
- (च) बजट और अनुमान तैयार करना;
- (छ) वह प्राधिकार, जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है;
- (ज) सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति;

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
64-65}

{धारा

- (झ) नोटिसों, बिलों और अन्य दस्तावेजों, पर ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना;
- (ञ) परिषद् द्वारा जारी किये गये दस्तावेजों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिये देय फीस;
- (ट) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और आवंटन;
- (ठ) कोई अन्य विषय, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो या की जाये।

(2) यदि कोई विनियम इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम, चाहे वह विनियम के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात् अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा।

64— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम में किसी बात के होने करने

कठिनाइयों को दूर

के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के कारण प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा।

की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो।

(3) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

65— किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई योजना प्रवृत्त

निरसन और अपवाद

हो, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 का, और उत्तर प्रदेश मलिन बस्त क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 उन आवास या सुधार योजनाओं को छोड़कर जिन्हें या तो इस अधिनियम के अधीन कोई योजना घोषित करने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित किया गया हो या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचित किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय और उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में

इस प्रकार लागू होंगे मानों निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हो।

{उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983}
66-67}

{धारा

66— उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 में, धारा 3 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1955

(क) उपधारा (1) में, शब्द “उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्” के स्थान की धारा 3 का संशोधन पर शब्द “उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्” रख दिए जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द “उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965” के पश्चात् शब्द “या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983” बढ़ा दिए जायेंगे।

67— (1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 एतद्वारा निरसित किया निरसन और अपवाद जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

